भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1578

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

राज्यीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में रूपांतरण

1578. डॉ. रानी श्रीकुमार:

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किए गए राज्यीय राजमार्गों की कुल लंबाई राज्यवार और वर्षवार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन के लिए राज्यीय राजमार्गों को प्राथमिकता देने के लिए विशिष्ट मानदंड स्थापित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे रूपांतरणों पर कितना बजटीय आवंटन और व्यय किया गया है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रदान की गई धनराशि भी शामिल है;

(घ) रूपांतरण परियोजनाओं के अनुमोदन और पूरा होने में लगने वाला औसत समय और इस प्रक्रिया के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में किसी डेटा या अध्ययन के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और ट्रैफिक कंजेशन पर ऐसे रूपांतरणों का क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रूप में अधिसूचित राज्यीय राजमार्गों (एसएच) और ग्रीनफील्ड खंडों सहित राज्यीय सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरा अनुबंध दिया गया में है।

(ख) राज्यीय सड़कों, जिनमें एसएच भी शामिल हैं, को समय-समय पर सुस्थापित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: -

i. पड़ोसी देशों, राष्ट्रीय राजधानियों को राज्य की राजधानियों/परस्पर राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों से जोड़ना।

ii. पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामरिक महत्व कीआवश्यकता वाली सड़कें।

iii. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी में उल्लेखनीय कमी लाती हैं और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करती हैं।

iv. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े भू-भाग को आवागमन हेतु खोलने में मदद करती हैं।

v. 100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।

vi. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल वाली सड़कें।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव पर आवंटित निधि और व्यय निम्नानुसार है:-

राशि करोड़ रुपये में								
वर्ष	आवंटन/लक्ष्य				व्यय/ निधि जारी करना /वास्तविक			
	बजटीय	आईईबीआर लक्ष्य	अन्य *	कुल	बजटीय	आईईबीआर वास्तविक	अन्य *	कुल
2019-20	74,767	75,000		**149,767**	68,310	74,988		**143,298**
2020-21	94,257	65,000	9,731	**168,988**	91,045	65,036	9,731	**165,812**
2021-22	123,537	65,000	25,000	**213,537**	115,321	65,150	21,356	**201,827**
2022-23	208,226	1,000	25,000	**234,226**	206,628	798	12,674	**220,100**
2023-24	266,552	0	17,000	**283,552**	266,299	0	24,346	**290,645**
आईईबीआर आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन								
*- अन्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि (इनविट और परियोजना आधारित वित्तपोषण सहित) शामिल हैं								

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं में ₹ 1,10,310 करोड़ का निजी निवेश प्रप्त किया है।

(घ) सरकार को समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य की सड़कों, जिनमें राज्यीय राजमार्ग भी शामिल हैं, को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के व्यापक सिद्धांतों, संपर्कता की आवश्यकता, यातायात सघनता, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

परियोजना कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों का सामना भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, मिट्टी/गट्टी की अनुपलब्धता, पर्यावरण/वन/वन्यजीव मंजूरी, आरओबी और आरयूबी मुद्दे, संविदागत मुद्दे आदि के कारण करना पड़ता है। सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में, इन चुनौतियों पर काबू पाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ड.) अवसंरचना क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति है, तेज आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है।

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2019 में 132,499 किमी से बढ़कर वर्तमान में 1,46,195 किमी हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में बजटीय आवंटन में वृद्धि के साथ, सड़कों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। 4 लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2019 में 31,066 किमी से 1.6 गुना बढ़कर 48,421 किमी हो गई है। साथ ही, 2-लेन से कम राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुपात 2019 में 27% से घटकर कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 9% हो गया है।

सरकार ने देश की लॉजिस्टिक्स (रसद) दक्षता में सुधार के लिए एक्सेस नियंत्रित हाई स्पीड कॉरिडोर (एचएससी) / एक्सप्रेसवे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इसके अलावा, सरकार ने यातायात की आवश्यकता के अनुसार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर, जहां भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय कारकों आदि पर विचार करते हुए विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है, न्यूनतम दो लेन पेव्ड शोल्डर के मानकों के साथ सुधार करने की नीति भी अपनाई है।

अब तक लगभग 2,474 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय एचएससी / एक्सप्रेसवे चालू हो चुके हैं।

सरकार यातायात को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम/भीड़ की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख शहरों/शहरी केंद्रों और राज्य की राजधानियों में रिंग रोड, बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर का विकास भी करती है। यातायात सघनता, गति में कमी, शहर में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाली सड़कों की संख्या, सड़कों की स्थिति, परस्पर प्राथमिकता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

उपरोक्त विकासों-कार्यों ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों तक क्षेत्रीय संपर्क और पहुंच को बढ़ाया है और रसद दक्षता में भी वृद्धि की है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

अनुबंध

"राज्यीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में रूपांतरण" के संबंध में डॉ. रानी श्रीकुमार, डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1578 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित राज्य सड़कों, जिनमें राज्यीय राजमार्ग और ग्रीनफील्ड खंड शामिल हैं, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा : -

लम्बाई किमी में

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	0	846	447	481	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1,748	82
3	असम	0	97	71	0	0
4	बिहार	0	413	169	0	162
5	छत्तीसगढ	0	15	0	0	0
6	गोवा	0	6	0	0	0
7	गुजरात	265	844	141	0	214
8	हरियाणा	0	71	23	132	0
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	55	124	59
10	झारखंड	0	26	37	0	203
11	कर्नाटक	0	77	229	461	69
12	केरल	0	0	0	76	0
13	मध्य प्रदेश	0	178	121	93	0
14	महाराष्ट्र	174	265	122	142	-13
15	मणिपुर	0	90	0	0	0
16	मिजोरम	0	0	0	76	0
17	नागालैंड	0	0	123	0	0
18	ओडिशा	0	136	0	0	0
19	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
20	पंजाब	50	775	140	0	0
21	राजस्थान	0	8	127	230	0
22	सिक्किम	0	246	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	117	0	142	0
24	त्रिपुरा	0	0	0	35	0
25	तेलंगाना	0	469	661	0	0
26	उत्तराखंड	0	463	240	0	0
27	उत्तर प्रदेश	0	94	414	54	-129
28	पश्चिम बंगाल	0	0	9	0	235
29	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	0	0	0	0
नोट: पुनर्संरेखन/बाईपास निर्माण/लंबाई डिनोटिफाईड आदि होने के कारण आंकड़े ऋणात्मक हैं ।						

*****